## कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-0135-2767611

पत्रांकः- [6[6 /FP/UK/MIN/149754/2021 दिनॉकःदेहरादून ou जनवरी, 2023

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली—110003।

বিষয:— Renewal of diversion of forest land of 1497 ha of forest land in favor of Uttarakhand Forest Development Corporation, Mining Division, Haldwani for collection of Minor Minerals from Gaula River in Haldwani and Tarai East Forest Divisions, District Nainital (Uttarakhand) (Online proposal No. FP/UK/MIN/149754/2021) – reg.

सन्दर्भ :— भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8—61 / 1999—एफ0सी0 (Pt.IV) दिनांक 14—12—2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 14—12—2022 के क्रम में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :—

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	The State / UA has applied for the renewal of	वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया
	diversion of forest land for next 10 years,	गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार वर्ष 2023–24
	however, the mining plan has been approved	से 2027-28 तक का अनुमोदित/स्वीकृत माईनिंग प्लान
	upto February 2023 only. Further, the State	उपलब्ध कराया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र
	has informed taht the mining plan is under	के साथ संलग्न है (संलग्नक-1) साथ ही अनुमोदित/
	process for approval for 5 years. In this	स्वीकृत माईनिंग प्लान परिवेश पोर्टल पार्ट–1 में भी
	regard, the approved mining plan for	अपलोड किया गया है।
	commensurate time period is required to be	() 보통하는 사람들은 사람들이 되었다. 그런 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은
-7.4	provided.	वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया
2	KML files of the CA area measuring 250.0ha	
	and 173.65 ha have not be submitted, which	गया है कि वर्ष 2022-23 में किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण
	may be provided.	कुल 250.0 है0 (तराई पूर्वी वन प्रभाग 160.00 है0,
1. 2		नैनीताल वन प्रभाग— 90.00 है0) की KML Files की
		सी०डी० प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
. · · · ·	물이 즐러움하는 사이트를 다리는 못했다.	(संलग्नक—2) साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत
		कराया गया है कि अवशेष 173.65 ha क्षतिपूरक
	[[] 발표 시간 세 최고 왕시, 화고 ( 그래! )	वृक्षारोपण को कैम्पा योजना के वर्ष 2023-24 की वार्षिक
		कार्ययोजना में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया जा
		रहा है अर्थात 173.65 है0 वृक्षारोपण क्षेत्र के KML Files
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		वर्तमान में उपलब्ध किया जाना संभव नहीं है।

3	As per the DSS analysis Dogadi Block Plot-	वन संरक्षक / प्रभागीय वस्तिक
3	1B(12ha), Dogadi block Plot-1c(30ha), and	वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत करी। गया है कि सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Fi
	Dogadi I Beat, Plot No.1B(9ha) are partially	सी0डी0 पत्र के साथ संलग्न है।
	falling on the river bed. Therefore the	साथ सलग्न है।
	Correct KML file of these CA areas may be	
	provided.	
	4	
4	Some of the CA sites are found overlapping.	वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया
	These CA sites are (1) Chinni 14 Plot-	गया है कि सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Files
	1(10ha), and Chini 14, Plot 2(10ha), (2)	Online की सी0डी0 पत्र के साथ संलग्न है।
	Dogadi Block Plot&1b(12ha) and Dogadi I	र साथ प्रतान है।
	Beat, Plot NO. 1b (9ha). Correct KML file	[ ]
F	may be provided.	민들이 도마스 동생하다 여름들이 하게 되었다. 그렇다
5	Cost Benefit Analysis has not been	तन मंग्रुक्त ( )
1	submitted as per the format prescribed in the	वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया
74	FCA, Handbook of guidelines dated 28-03-	ाया है कि प्रयक्ति अभिकरण के अनुसार एफल्सीवाव
-50.7-	2019.	दिशानिर्देशों की पुरितका के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप
		में Cost Benefit Analysis तैयार कर परिवेश पर्टल में
		अपलोड किया गया है।
6	The State Govt has provided the survival	वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया
	percentage of various CA plantations which	गण है कि पूर्व में भेरिन करिन
	varies form 5-96%. The reasons/justification	गया है कि पूर्व में प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की रा्ची को
	for the low survival percentage may be	पुनरीक्षित कर मानकों से कम सफलता प्रतिशत वाले
	specified.	वृक्षारोपण क्षेत्रों के स्थल विशेष कारण/औचित्य निर्धारित
		प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
	그리는 그리는 경우 경우를 하다고 있다. 그 말으로 그리	(संलग्नक—3) परिवेश पोर्टल पार्ट—2 के additional
		information में भी उक्त प्रारूप अपलोड किया गया है।
	4 백사는 얼마나 보다면 이번 바다 되었다.	
Table 1	Further the IRO has carried out the Site	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग स्तर
	Inspection of CA sites in this case it has been	पर संधारित अभिलेखों एवं वृक्षारोपण पंजिका अनुसार
	observed that as per the report of IRO (copy	क्रिक्टार्ग नवर निया विश्व पृत्तीरापण पाजका अनुसार
	enclosed) the area of Kot Kharra S.No. 81-77	कोटखर्रा द०अ प्लाट संख्या ७७, ८०, ८० भाग का
	is 16.0 ha whereas the state has mentioned	वास्तविक क्षेत्रफल 14.00 है0 है। संभवतः आई०आर०आं०
	the same to be 14.0ha only, which may be	कार्यालय से लिपिकीय त्रुटिवश 14.00 है0 के स्थान पर
	looked into and corrected.	16.00 अंकित किया गया प्रतीत होता है। ,
7	As per the condition no.(ix) of the previous	
	approval the State Government was required	वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया
	to constitute a committee to review annually	गया है कि भारत सरकार की अनुमित संख्या—F.No-8-
	the status of compliance of the stipulated	61/1999-FC, dated-23.01.2013 की शर्त संख्या—9 के
	conditions and issue appear	अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण
	conditions and issue appropriate direction to	अनुभाग की पत्र संख्या—14-1/X-3-13-08(14)/2009]
	the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to	दि० 29.01.2013 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) की
**		
	only after reciept of certificate from the	ने न्याका नी मही है। न्यं कर ने
	Monitoring Committee that the conditions,	की समीक्षा की गयी है। वर्ष 2017 से 2022 तक अनुश्रवण

stupulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactory been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year". The copy of notification of the said committee and action taken reports of the committee may be provided.

समिति द्वारा जारी कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–4)

अतः वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने पर विचार करने का कष्ट करें। संलग्नक—यथोपरि।

> (एस०एस० रसाईली) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।

भवदीय,

प्रंख्या— 16 ि / FP/UK/MIN/149754/2021 तद्दिनांकित। प्रतिलिपि निम्निखिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पत्रांक 1138/12-1 दिनांक 03-01-2023 के क्रम में।

2 प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गोला, हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी।

(एस०एस० रसाईली) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।

90

ore cost production of the service o